कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) कोटा जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

ज्ञापन

क्रमांक / अ / अविअ / वा–03 /   / 2025   823   कोटा, दिनांक 17 / 07 / 2025

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
वनमण्डल
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

विषय :– भू–स्वामी के द्वारा आवेदन किये जाने पर वृक्ष की कटाई नहीं किये जाने बाबत्।

संदर्भ :– आवेदक उमेन्द्र शर्मा पिता स्व. रामबिलास शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम बहेरामुड़ा तहसील बेलगहना जिला बिलासपुर के द्वारा प्रारूप–च दिनांक 15 / 04 / 2025

––0––

आवेदक उमेन्द्र शर्मा पिता स्व. रामबिलास शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम बहेरामुड़ा के द्वारा ग्राम बहेरामुड़ा स्थित भूमि खसरा नं. 423 रकबा 0.498 हे. में रोपित 5 सागौन वृक्ष काटने हेतु प्रारूप 'च' में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके आधार पर तहसीलदार बेलगहना से जांच प्रतिवेदन लिया गया।

तहसीलदार बेलगहना द्वारा अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा अपने आवेदन में लेख किया गया है कि ग्राम बहेरामुड़ा स्थित उसके निजी भूमि खसरा नंबर 423 रकबा 0.498 हे0 में कृषि के रूप से रोपित सागवान (सागौन) स्थित है। जिसे लगाये जाने एवं रोपित किये जाने हेतु वृक्ष का पौधा कहा से प्राप्त किया गया है के सम्बन्ध में कोई वैध दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। वन परिक्षेत्राधिकारी बेलगहना एवं हल्का पटवारी के संयुक्त प्रारूप ख निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित भूमि में स्थित 5 वृक्ष प्राकृतिक रूप से उगे हुए है। आवेदक के आवेदन एवं वन विभाग के जांच प्रतिवेदन में भिन्नता है, ऐसी स्थिति में आवेदक को वृक्ष काटने की अनुमति प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः वृक्ष कटाई के नियम, 2022 की कण्डिका 08 के अनुसार भूमि स्वामी द्वारा लिखित में इच्छा व्यक्त किये जाने पर उसके खाते में दर्ज उक्त वृक्षो की कटाई न किया जावे।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोटा, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)